

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक पा०(ध)नविवि/३/९८-पार्ट

जयपुर दिनांक: २५.१२.०७

-: परिच्छ्र :-

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन इकाई नीति 2007, जारी की जा चुकी है। अतः इस नीति के अन्तर्गत समस्त श्रेणी के होटल, हैरिटेज होटल, रेस्तरां व पर्यटन हेतु अन्य इकाई जैसे कैम्पिंग साइट, हॉली-डे रिसोर्ट/स्टोटल, हैल्थ स्पा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत पर्यटन इकाईयां जो योग, हस्तांशि व रसायन होंगी, गोल्फ अकादमी, गोल्फ कोर्स, अन्य खेलकूद की गतिविधियां, एवं सभी प्रकार की पर्यटन इकाईयां आदि को भूमि उपलब्ध कराने मू-रूपान्तरण या अन्य छूट एवं सुविधा प्रदान करने हेतु इस विभाग के परिपत्र क्रमांक पा०(ध)नविवि/३/९८-पार्ट दिनांक 25.07.06 (पर्यटन विभाग की नई होटल नीति - 2006 के अन्तर्गत होटल/इकाईयों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में) को अधिकमित करते हुये निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं।

१. होटलों एवं पर्यटन इकाई हेतु भूमि आवंटन

१. प्रायः सरकार द्वारा विभिन्न पर्यटन इकाईयों, जिसमें समस्त प्रकार के होटल सम्मिलित हैं, की स्थापना या विकास हेतु भूमि की उपलब्धता निम्न प्रकार से की जायेगी :-

(अ) जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर पालिका, एवं राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा पर्यटन इकाईयां, जिसमें होटल भी सम्मिलित है, की स्थापना हेतु उपलब्ध भूमि का ध्ययन कर भूमि बैंक की स्थापना की जायेगी जिसमें विभिन्न श्रेणी के होटलों व पर्यटन इकाई हेतु भूमि का आरक्षण किया जायेगा :-

(१) बजट होटल (१, २ व ३ सितारा)

(२) धार सितारा होटल

(३) पांच सितारा होटल व डीलक्स श्रेणी के होटल

(४) अन्य पर्यटन इकाई

(ब) इस प्रकार स्थापित भूमि बैंक की सूचना पर्यटन विभाग एवं स्थानीय निकाय द्वारा जारी वैब साइट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(स) विभेन्न श्रेणी की होटलों व अन्य पर्यटन इकाईयों को अधिकतम/न्यूनतम भूमि केत्र का निर्दरण निम्नानुसार किया जायेगा :-

क्र.सं.	होटल श्रेणी	न्यूनतम भूमि क्षेत्र	अधिकतम भूमि क्षेत्र
१.	बजट होटल (१,२ व ३ सितारा)	१२०० वर्ग. मी. तक	४००० वर्गमीटर तक
२.	५ सितारा	८००० वर्ग. मी. तक	१२,००० वर्गमीटर तक
३.	५ सितारा व डीलक्स श्रेणी	१८,००० वर्ग. मी. तक	४०,००० वर्गमीटर तक
४.	अन्य पर्यटन इकाई	-	आपश्यकर्/उपलब्धतानुसार

२. (अ) बिन्दु संख्या (१) (अ) में सम्मेलित स्थानीय निकायों के संबंध में होटल व अन्य पर्यटन इकाईयों के सिए न्यूनि बैंक में स्थानीय एवं आरक्षित ग्रामों की विवरण जारी किया

दर निर्धारित की जायेगी। होटल एवं अन्य पर्यटन इकाईयों के लिए स्थानीय क्षेत्र की वर्तमान वाणिज्यिक आरक्षित दर और विशेष आरक्षित दर की निम्नानुसार होगी :-

होटल भेणी

न्यूनतम आरक्षित दर

1.	एक सितारा	10 प्रतिशत
2.	दो सितारा	20 प्रतिशत
3.	तीन सितारा	30 प्रतिशत
4.	चार सितारा	40 प्रतिशत
5.	पांच सितारा	50 प्रतिशत
6.	अन्य पर्यटन इकाई	60 प्रतिशत

यह विशेष आरक्षित दर होटलों व अन्य पर्यटन इकाईयों के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु न्यूनतम दर होगी तथा एक से अधिक आवेदक होने पर तुलनात्मक निविदा के आधार पर भूमि का विकल्प किया जाये। स्थानीय निकायों द्वारा प्रोजेक्ट के लिए चयनित विभिन्न भूमि की आरक्षित दर पर्यटन विभाग एवं स्थानीय निकायों की बैठक साइट पर उपलब्ध कराई जायेगी। परन्तु यह आरक्षित दर उस क्षेत्र विशेष की आरक्षित आवासीय दर से कम नहीं होगी। प्रस्तावित नई नीति की पालना में नगरीय शासन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संबंधित नियमों में उपरोक्तानुसार आवश्यक संरोधन किये जाएँ।

(b) होटलों व अन्य पर्यटन इकाईयों को भूमि का विकल्प विशेष आरक्षित दर के आधार पर एक से अधिक आवेदक होने पर तुलनात्मक निविदा के आधार पर निम्न प्रक्रियानुसार किया जायेगा :-

- स्थानीय निकायों द्वारा होटलों व अन्य पर्यटन इकाईयों के लिए चयनित भूमि का विकल्प एवं निस्तारण जन सूचना हेतु विज्ञापन के जरिये अधिसूचित किया जायेगा। विज्ञापन में विकल्प एवं निस्तारण की विशेष आरक्षित दर का उल्लेख होगा तथा यह तुलनात्मक निविदा हेतु न्यूनतम दर होगी।
- संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध भूमि के निस्तारण हेतु नियमित कार्यवाही की जाएगी। इस नियमित कार्यवाही के अन्तर्गत संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा विज्ञापन के जरिये जन सूचना हेतु अधिसूचित किया जायेगा। यदि विज्ञापन लौ नियत समय अखण्डि के अन्दर भूमि के विकल्प/निस्तारण हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो तुलनात्मक निविदा के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। यदि विज्ञापन की नियत भूम्यावधि के अन्दर कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो भूमि का आवंटन पर्यटन इकाई नीति द्वारा अन्य प्रावधानों के तहत विशेष आरक्षित दर पर एकल आवेदक को किया जा सकता है।
- उपरोक्त 2 क (1) हेतु स्थानीय निकायों द्वारा ५ काल आवेदक / निविदावाता जो कि होटल व अन्य पर्यटन इकाईयों के लिए न्यूनतम आरक्षित दर पर भूमि आवेदन को दिए चाहिए नियम नया है, को पर्याप्तता की रातों को पालना सुनिश्चित की जायेगी। स्थानीय निकायों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि निविदा के तहत चयनित निविदावाता अथवा एकल निविदावाता/आवेदक (जो कि भूमि आवंटन हेतु चयनित किया गया है) प्रोजेक्ट राशि का 10 प्रतिशत कार्य युक्तता गारंटी जमा

- करनी होगी। होटल व अन्य पर्यटन इकाई प्रोजेक्ट के लिए आवंटित भूमि में निर्मित क्षेत्र का अधिकतम 15 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रतिबन्धित होगा।
4. इस नीति के लिए/पर्यटन इकाईयों की भूमि की निविदा एवं आवेदन के लिए निम्न कस्टोर्डियां निर्धारित की जाती हैं:-
- (1) बजट होटल (1.2 व 3 सितारा श्रेणी के होटल के लिये) कोई पात्रता नहीं।
  - (2) चार सितारा श्रेणी व इससे ऊपर की श्रेणी के लिए-
- निविदादाता/आवेदक होटल/टप्पूर होटल/होटल व्यवसाय में पर्यटन गतिविधियों के क्षेत्र का होना चाहिये। यदि आवेदक के पास यह योग्यता नहीं है तथा आवेदक (कन्सोर्टियम) का कोई भी चर्दस्य है तो वार्ता का धारी है तो आवेदन स्वीकार किया जा सकता है।
- (3) इस नीति के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई भूमि का उपयोग आगामी 30 वर्षों तक निर्धारित उपयोग से अन्यथा नहीं हो सकेगा।

## 2. नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का रूपान्तरण

- (i) शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का रूपान्तरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को धारा 80 'बी' के अन्तर्गत किया जायेगा; संबंधित स्थानीय लिकाय यथा जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर पालिका द्वारा धारा 60 'बी' के अन्तर्गत कृषि भूमि का अकृषि भूमि में रूपान्तरण करने हेतु आवश्यक आदेश पारित किये जाते हैं। वर्तमान में होटल एवं अन्य पर्यटन इकाई टी स्थापना के लिए पृथक से कोई ब्रेन्ड न होकर वाणिज्यिक श्रेणी में संपरिवर्तन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक नई टाउनशिप पॉलिसी अधिसूचना क्रमांक एफ.10(1)यूडी/3/2002 दिनांक 29.03.2007 हाला जारी की गई है जिसके द्वारा संख्या ए(13) के अन्तर्गत विशिन उददेश्य हेतु कृषि भूमि में संपरिवर्तन किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस नीति में कृषि भूमि से वाणिज्यिक परिवर्तन किये जाने हेतु जयपुर राइर में संपरिवर्तन की दर 400 रुपये प्रति वर्गमील व अन्य शहरों में शिखेन्द्र दरें लागू की गई हैं। होटल व अन्य पर्यटन इकाई के लिए पृथक से वाणिज्यिक उपयोग में इसे एक उपश्रेणी माना जायें।
- (ii) पूर्वि राज्य सरकार की मंत्रा होटल व अन्य पर्यटन इकाईयों को कृषि भूमि से संपरिवर्तन किये जाने हेतु सम्पूर्ण घूट दिये जाने की है। अतः इन उददेश्य की प्राप्ति हेतु उक्त टाउनशिप पॉलिसी एवं नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम-1974 राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 के अन्तर्गत संशोधन किया जाता है कि कृषि/औद्योगिक/आवासीय भूमि से समस्त प्रकार के होटलों व इन पर्यटन इकाईयों की स्थापना पर धार्हे वे टाउनशिप योजना में भूखण्ड हो या उत्तराञ्चल स्टेट हो संपरिवर्तन गुरुकृष्ण को दिनांक 31 मार्च, 2010 तक मुख्ति किया जाता है।
- (iii) इस नीति के अन्तर्गत आने वाले उपरोक्त समस्त प्रकार के होटल एवं पर्यटन इकाईयों को दिखाया, शुल्क से भ्राता किये जाने का प्रकारण किया जाता है।

**3. पुरापरिसम्पत्तियां (जो आवासीय या अन्य उपयोग में आ रही है) को होटल व अन्य पर्यटन इकाई में संपर्याप्ति किये जाने के संबंध में**

राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 में आवासीय भूमि से सम्बन्धित एवं अन्य प्रयोग द्वारा संपरिवर्तन के प्रावधान इस्तें गणे तथा वाणिज्यिक, आवासीय व औद्योगिक भू-उपयोग की परिमाणा दी गई है। नियम 12 में गैर वाणिज्यिक भूमि का वाणिज्यिक भू-उपयोग द्वारा संपरिवर्तन किये जाने के लिए आवासीय आरक्षित दर की 40 प्रतिशत राशि वसूल किये जाने का प्रावधान है। इन प्रावधानों के अनुसार कोई आवासीय भूमि या भवन भैं डोटल द्वारा उपयोग किया जाता है तो उक्त नियमों के अनुसार उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की आरक्षित दर का 40 प्रतिशत राशि भू-उपयोग परिवर्तन के रूप में वसूल की जाती है। समस्त प्रकार की हैरिटेज सम्पत्तियां जैसे हवेली, किला, पैलेस आदि भी इस श्रेणी में आते हैं और इन परिसम्पत्तियों में हैरिटेज होटल बनाने की स्थिति में गिकासकर्ता को नियम 12 के अनुसार संपरिवर्तन शुल्क जमा कराना होता है।

आज भी राजस्थान में जगह-जगह हैरिटेज श्रेणी की हवेली, किले व पैलेस बिदैरे रहे हैं जहां पर हैरिटेज होटल विकल्पित किये जा सकते हैं, जो विदेशी पर्यटकों के लिए दिशेद आकर्षण के स्थल होते हैं। इससे न फेल पर्यटकों की बढ़ि होगी अपितु राजस्थान संस्कृति का भी प्रचार-प्रसार होगा। इल इस द्वारा नियम 12(1) के में निम्न परन्तुक जोड़ जाते हैं :-

- परन्तु यह कि किसी पुरासम्पत्ति जैसे हवेली, किले, पैलेस, हॉटेल लॉज आदि, जो दर्व 1050 से पूर्व से निर्मित है, का हैरिटेज होटल में वरिवर्तन/ निर्माण करने हेतु उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें कम से कम 10 कमरे होंगे, तो उपरोक्त वर्णित राशि से मुक्त कर दिया जायेगा;
- परन्तु यह कि किसी आवासीय भूमि अथवा आवासीय भवन का होटल अथवा अन्य पर्यटनइकाई द्वारा उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें कम से कम 10 कमरे होंगे, तो उपरोक्त वर्णित राशि को मुक्त कर दिया जायेगा। परन्तु यदि कोई अन्य पर्यटन इकाई अथवा कैम्प साइट अथवा टैन्ट आदि में है तो 10 कमरों की अनिवार्यता नहीं होगी।

**4. नियमन**

तृष्ण हैरिटेज पुरासम्पत्तियों व आवासीय भूखण्डों एवं भवनों में होटल अथवा अन्य पर्यटन इकाई बिना आवश्यक स्वीकृति के शुरू कर दिये गये हैं और यो कार्यशील है तो नवीन नीति में ऐसे होटलों व पर्यटन इकाईयों को भूमि खानातरण शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। यदि पूर्व बीं दिना शोधित स्वीकृति के नुखण्डों एवं भवनों का उपयोग होटल व अन्य पर्यटन इकाईयों के रूप में किया जा रहा है ऐसी इकाईयों के नियमन राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम-2000 के नवीन परन्तुक के अनुरूप गुणवत्ता के आधार पर नियमन शुल्क का 25 प्रतिशत राशि पर नियमन किया जायेगा।

**5. एफ. ए. आर.**

दर्शनाम् में जगहाव विकास प्राधिकरण क्षेत्र एवं अमि नगरीद क्षेत्र में एक ऊजर : 75

एवं (ii) नई टाउनशिप में नवीन होटलों के लिए एफ.ए.आर. दुगुना कर दिया गया है बशर्ते कि सम्पूर्ण योजना क्षेत्र एवं टाउनशिप योजना क्षेत्र का एफ.ए.आर. एक से अधिक न हो। पूर्व में स्थापित होटलों के लिए एफ.ए.आर. 1.75 से बढ़ाकर 2.0 किया जाता है और उसके भद्रदेनजै डीलीरिक्स बंजिल के निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी परन्तु दोनों ही परिस्थितियों में दूषि एवं चूर्ज पूर्व की भाँति ढाँ रहेगा। परन्तु इस प्रकार स्वीकृत निर्माण के अन्तर्गत केवल कमरों का ही निर्माण किया जायेगा न कि रेस्टोरेंट बार अथवा बैंकवट हॉल इत्यादि।

अन्य ऐसी नीतिगत माध्यमे जो होटल एवं अन्य पर्यटन इकाई से संबंधित ह तथा इस पर्यटन इकाई नीति-2007 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। ये समस्त प्रकरण नोडल विभाग के संचय से गुणावमुण के आधार पर दोई ऑफ इनक्रास्ट्रक्चर विकास एवं विनियोजन के समस्त निर्णय हेतु ग्रस्त किये जायेगे।

शज्जस्यान विनियोजना नीति योजना-2003 के तहत दी गई छूटें समस्त पर्यटन इकाईयों पर भी लागू होगी।

पर्यटन इकाई नीति-2007 की यात्रा में उक्त वर्षित छूट, रियायतों आदि होटल एवं पर्यटन इकाईयों के मार्च-2010 तक स्थापित किये जाने की शर्त पर दी जायेगी।

भूमि आवंटन की अन्य शर्तें नृगि निष्पादन नियम-1974 के अनुसार होगी।

#### ५. नोडल विभाग

समस्त पर्यटन इकाईयों को आधारभूत संरचना के विकास हेतु पर्यटन विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

उक्त आदेश नगरीय शासन के अधीन समस्त विनागों पर (जयपुर विकास प्राधिकरण, नगरीय विकास न्यास/स्थानीय निकाय विभाग/राजरथान आवासन मण्डल) तुरन्त प्रभाव से लागू होगे।

प्रभुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज० सरकार।
2. निपी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
3. निपी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निपी सचिव, प्रमुख राजन भविष्य, नगरीय विकास विभाग।
5. निपी भविष्य, प्रमुख राजन सचिव, पर्यटन विभाग।
6. निपी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निपी ६.८८८, प्रमुख शासन सचिव, राजरथान विभाग।
8. निपी भविष्य, सामुदाय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निपी भविष्य, आमुल, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. निपी सचिव, शासन सचिव, राजरथान शासन विभाग।
11. विवेचक स्थानीय निकाय विभाग, विभाग।
12. विवेचक, पर्यटन विभाग, जयपुर।
13. नुस्ख नगर विवेचक, राजस्थान, जयपुर।
14. अध्यक्ष/सचिव नगर विकास न्यास, समरत।
15. एकित प्रभावली।